

I/130679/2023

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
जल आयोजन एवं परियोजनासमन्वय निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
WP&P Coordination Directorate

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत Shri Anand Kishor, Ward No-14, LaxmanNagar, Sitamarhi, Bihar Pin: 843302., ईमेल: का RTI क्रं CWCND/R/T/23/00037 दिनांक 20/03/2023 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

(Information sought under RTI Act by Shri Anand Kishor, Ward No-14, LaxmanNagar, Sitamarhi, Bihar Pin: 843302., vide RTI application No CWCND/R/T/23/00037 dated: 20/03/2023 -reg)

इस कार्यालय में 21-03-2023 को केन्द्रीय जल आयोग के अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी के पत्रांक A-49012/8/2023/RTI/376-77 दिनांक:21/03/2023 से प्राप्त Shri Anand Kishor.का दिनांक 20/03/2023 आवेदन के संबंध में जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्रं सं	वांछितसूचना:	उपलब्धसूचना:
1.	भारत तथा नेपाल का बीच में बहने वाली बड़ी तथा चोटी नदियों पर पक्का डैम्, बेराज नहर तथा धार रोकने हेतु कच्चा बांध निर्माण हेतु दोनों देशों के बीच क्या समझौते हैं तथा क्या प्रावधान हैं। यह निर्माण सीमा से कितनी दूर पर होना है तथा उसका स्वरूप कैसा होगा तथा यह किसिस अंतर राष्ट्र नियमन से नियंत्रित होता है	India and Nepal had signed following Agreements /Treaties on rivers common to both countries: 1. Treaty for integrated development of the Mahakali river including Sarada barrage, Tanakpur barrage and Pancheswar project signed on 12.02.1996. 2. Agreement dated 25.04.1954 (revised agreement dated 19.12.1966) on the Kosi project. 3. Agreement dated 04.12.1959 (revised agreement dated 19.02.1976) on the Gandak irrigation and power project.

I/130679/2023

	Copies of the above Agreements/Treaties are available on CWC website at following URL: https://cwc.gov.in/sites/default/files/legal_instruments_4.pdf
--	---

यदि आप इस कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी/जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं जिसका पता नीचे दिया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग के ज.आ.एवं.प. स्कन्ध के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता	मुख्य अभियंता (PAO), केंद्रीय जल आयोग, सतवान तल (दक्षिण), सेवा भवन, आर के पुरम, नयी दिल्ली – 110066 ☎:011-26103561. ✉: ceprjap@nic.in
---	---

निदेशक Director

ज.आ.एवं.प. स.नि. तथा मुख्य जनसूचनाअधिकारी WP&P (C) & CPIO

प्रति

1. Shri Anand Kishor, Ward No-14, LaxmanNagar, Sitamarhi, Bihar Pin: 843302., ईमेल:

प्रतिलिपि

2. अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को पत्रांक. A-49012/8/2023/RTI/376-77 दिनांक:21/03/2023 के अनुसरण में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

तृतीय तल (दो), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम
नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011 29583225, फ़ैक्स : 011 29583209
ई मेल: wppcdte@nic.in

♣जल संरक्षण- सुरक्षित भविष्य♣



3rd FLOOR (S), SEWA BHAWAN, R.K.PURAM
NEW DELHI-110066
Tel: 011 29583225
Fax: 011 29583208
Email :- wppcdte@nic.in

♣Conserve Water- Save Life♣